भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Government of India Undertaking)

कपास भवन, प्लॉट न. 3/ए, सेक्टर-10, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुम्बई-400614
Kapas Bhavan, Plot No.3-A, Sector 10, CBD-Belapur, Navi Mumbai 400 614
दूरभाष/Phone:022-27579217, फैक्स/Fax: 022- 27576030, ई-मेल/Email: headoffice@cotcorp.com;
वेबसाइट/Website: www.cotcorp.org.in; मंत्रालय की वेबसाइट/Ministry's Website: www.ministryoftextiles.gov.in

दिनांक: 30.09.2026

कपास सीजन 2026-27 के दौरान संस्थागत खरीददारों, एमएसएमई मिलों, निजी मिल खरीददारों और व्यापारियों को ई-नीलामी के माध्यम से भाकनि द्वारा पूर्ण बंधित कपास की गांठों की बिक्री के लिए नियम और शर्तें, जो दिनांक 01.10.2026 से की गई बिक्री पर प्रभावी होंगी।

एच-1 बोलीदाताओं से प्राप्त बोलियों को क्रय एवं विक्रय समिति के समक्ष रखा जाएगा और बोली पर निर्णय की सूचना एच-1 बोलीदाता को उसी दिन ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। ई-नीलामी में एक बार लगाई गई बोली रद्द नहीं की जा सकती और बोलीदाता पर बाध्यकारी होगी, इसलिए खरीददारों को बोली लगाते समय विशेष रूप से बोली दर का ध्यान रखना चाहिए। ई-नीलामी में बोली लगाने के बाद किस्म/श्रेणी में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निगम को बोली के पूर्ण या आंशिक भाग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

1. प्रतिभूति जमा राशि

क) सफल बोलीदाता - एच-1 (खरीददार) अनुबंध की तारीख को छोड़कर पांच दिनों के भीतर, बिक्री मात्रा के अनुसार जमा के रूप में रुई के मूल्य की नीचे दी गई तालिका के अनुसार न्यूनतम राशि का भुगतान करेगा ।

खरीददार के प्रकार	2999 गांठें तक की मात्रा	3000 गांठें या इससे अधिक की मात्रा
केवीआईसीयूनिट/सहकारी/एमएसएमई/संस्थागत स्पिनिंग मिलें	10%	10%
निजी टेक्सटाइल मिल	10%	15%
कॉटन ट्रेडर्स	15%	20%

यदि खरीददार अनुबंध की तारीख से पांच दिनों के भीतर जमा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ई-नीलामी में उसकी भागीदारी बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी।

ख) यदि खरीददार अनुबंधित रुई का अग्रिम मूल्य निर्धारित समय के भीतर जमा करने में विफल रहता है, तो विक्रेता के विकल्प पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है और पंजीकरण के लिए जमा की गई सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।

ग) उक्त राशि को खंड संख्या 3 और 12 के अनुसार आवश्यक राशि को प्रत्येक डिलीवरी और कमी के साथ आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, यदि कोई कमी है, तो उसे इस तरह से पूरा किया जाएगा कि विभिन्न इंडेंट के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले सभी अनुबंधित रुई के मूल्य का सभी अनुबंधित कपास के उठाए जाने तक हर समय बनाए रखा जाएगा।

घ) उठाई गई गांठों की आनुपातिक जमा राशि पर ब्याज लाभ जमा राशि की प्राप्ति की तिथि से लेकर सुपुर्दगी के लिए किए गए शेष भुगतान की तिथि तक 5.0% प्रति वर्ष की दर से दिया जाएगा।

2. <u>अनुबंधित रुई की गांठों का चयन</u>

भाकनि बिक्री पुष्टि/अनुबंध के साथ ही गांठों (लॉट) का प्रस्ताव करेगा।

खरीददार या उसके प्रतिनिधि इस अनुबंध के तहत बिक्री पुष्टि की तारीख से 10 दिनों के भीतर रुई का चयन करेगा, चाहे खरीदी गई मात्रा कितनी भी हो।

यदि अनुबंधित मात्रा न्यूनतम 300 गांठें है, तो खरीददार को चयन प्रक्रिया पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए, प्रस्तावित की गई मात्रा अनुबंधित मात्रा का 120% होगी।

यदि खरीददार ऊपर बताई गई न्यूनतम आवश्यक मात्रा का चयन नहीं करता है, तो सामान्य भिन्नता को छोड़कर, खरीददार को सत्यापन के लिए अपने परीक्षण परिणाम आपूर्तिकर्ता शाखा को प्रस्तुत करने होंगे। यदि खरीददार के परीक्षण परिणाम निर्धारित मानकों से कम हैं, तो संयुक्त नमूने 3-5 दिनों के भीतर लिए जाने चाहिए और भाकनि द्वारा नामित स्वतंत्र प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे जाने चाहिए। यदि स्वतंत्र प्रयोगशाला के परीक्षण परिणाम निर्धारित मानकों के अनुसार सामान्य हैं, तो खरीददार को केवल इन्हीं लॉट में से चयन पूरा करना होगा और आगे के नमूने खरीददार को चयन के लिए नहीं दिए जाएंगे, अन्यथा ऐसे बंडल खरीददार के जोखिम और लागत पर पुनः बेचे जाएंगे।

हालांकि, यदि संयुक्त नमूना परीक्षण के परिणाम सांकेतिक मापदंडों से कम हैं, तो खरीददार को लॉट की उपलब्धता के अधीन अस्वीकृत मात्रा के 120% तक अतिरिक्त नमूने चयन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और खरीददार चयन प्रक्रिया पूरी करेगा।

खरीददार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया पूरी करने से पहले पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए। एक बार निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया गया चयन अंतिम होगा और चयनित रुई की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयन अवधि के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी न कर पाने की स्थिति में, जमा राशि का आनुपातिक जमा राशि जब्त कर लिया जाएगा और विक्रेता के विकल्प के अनुसार, अनुबंध को अस्वीकृत मात्रा तक रद्द किया जा सकता है।

चूंकि रुई एक कृषि उत्पाद है और नमी सोखने वाला होता है, इसलिए ई-नीलामी में बिक्री के लिए प्रस्तावित पूर्ण बंधित गांठों के गुणवत्ता मानदंड केवल सांकेतिक हैं और इनमें ±2% का अंतर हो सकता है। खरीददार चयन प्रक्रिया पूरी करते समय इस सामान्य अंतर को ध्यान में रखें।

3. <u>नमी का प्रतिशत:</u>

क) वास्तविक नमी प्रतिशत सुनिश्चित करने की प्रक्रिया:-

गांठों की सुपुर्दगी के समय विक्रेता, अर्थात् सीसीआई, खरीददार के प्रतिनिधि की उपस्थिती में, खरीददार की पसंद के अनुसार लॉट से कम से कम 10 गांठों की नमी मापेगा। प्रत्येक स्टैक से कम से कम एक गांठ की नमी मापी जानी चाहिए। लॉट की सभी गांठों से मापी गई नमी का औसत, छूट/प्रीमियम राशि की गणना के लिए विचार किया जाएगा।

ख) यदि औसत नमी प्रतिशत 3(क) में गणना किए गए 9% से अधिक है, तो खरीददार को छूट दी जाएगी।

छूट = (वास्तविक नमी % - 9%) × शुद्ध सुपुर्दगी वजन × बिक्री दर प्रति क्विंटल ।

ग) यदि औसत नमी प्रतिशत 3(क) में गणना किए गए 7% से कम है, तो खरीददार से प्रीमियम राशि ली जायेगी।

प्रीमियम = (7% - वास्तविक नमी %) × शुद्ध सुपुर्दगी वजन × प्रति क्विंटल बिक्री दर।

4. <u>लिफ्टिंग अवधि</u>

क. केवीआईसी यूनिट, सहकारी स्पिनिंग मिलों, एमएसएमई स्पिनिंग मिलों और संस्थागत स्पिनिंग मिलों के लिए लिफ्टिंग अवधि:-

एक दिन में बिक्री की मात्रा	लिफ्टिंग अवधि
कोई भी मात्रा	30 दिन

ख. अन्य निजी टेक्सटाइल मिलों के लिए लिफ्टिंग अवधि:-

एक दिन में बिक्री की मात्रा	लिफ्टिंग अवधि
999 गांठों तक	15 दिन
1,000 गांठे और उससे अधिक	30 दिन

ग. कपास व्यापारियों के लिए लिफ्टिंग अवधि:-

एक दिन में बिक्री की मात्रा	लिफ्टिंग अवधि
1,999 गांठों तक	15 दिन
2,000 गांठे और उससे अधिक	30 दिन

5. <u>लॉक-इन अवधि की सुविधा (केवल टेक्सटाइल मिलों के लिए लागू)</u>

क) टेक्सटाइल मिलें ई-नीलामी में 100 गांठों के गुणक में मात्रा खरीद सकती हैं और लॉक-इन सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। लॉक-इन अवधि 30 दिनों के लिए और 30 दिनों के गुणक में, अधिकतम 90 दिनों तक, उठाने की अवधि समाप्त होने के बाद तक उपलब्ध होगी। ई-नीलामी बोली में उद्धृत विक्रय दर के अतिरिक्त, 30 दिनों तक 275 रुपये प्रति गांठ, 60 दिनों के लिए 550 रुपये प्रति गांठ और 90 दिनों के लिए 825 रुपये प्रति गांठ का लॉक-इन शुल्क लागू होगा। लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद, खंड संख्या 12 के अनुसार वहन शुल्क लागू होगा। ईएमडी के भुगतान के बाद, कपड़ा मिल को लॉक-इन सुविधा का लाभ उठाने के लिए वांछित अवधि (30 दिनों के गुणक में) के लिए लॉक-इन अवधि शुल्क का भुगतान करना होगा। यह भुगतान अनुबंध की तिथि को छोड़कर 5 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

ख) लॉक-इन अवधि की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, मिल को अनुबंध की तारीख को छोड़कर पांच दिनों के भीतर कॉटबिज़ पोर्टल से एक विकल्प का चयन करना होगा।

ग) मिल को लॉक-इन अवधि के भीतर भुगतान करना होगा और गांठों की सुपुर्दगी लेनी होगी। यदि मिल ऐसा करने में विफल रहती है, तो लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद खंड संख्या 12 के अनुसार रुई वहन का शुल्क और अतिरिक्त जमा राशि लागू होगी। ऐसे मामले में, खरीददार को लॉक-इन अवधि समाप्त होने से पहले विक्रेता से अपनी ओर से रुई वहन करने का अनुरोध करना होगा और लॉक-इन अवधि समाप्त होने से पहले शेष बिना उठाई गई मात्रा के लिए उठाने का शेड्यूल देना होगा। यदि खरीददार लॉक-इन अवधि के बाद 60 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर गांठें नहीं उठाता है, तो विक्रेता खरीददार के जोखिम और खर्च पर अनुबंध रद्द करने और पूरी या शेष मात्रा को किसी भी समय और किसी भी तरीके से पुन: विक्रय करने का हकदार है, और साथ ही, ऐसे पुन: विक्रय से हुई किसी भी क्षति/हानि की वसूली का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

घ) मिलों के साथ व्यापारिक लेन-देन तब तक प्रतिबंधित रहेगा जब तक कि मिल द्वारा इस अनुबंध के तहत पुन: विक्रय में हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर दी जाती।

6. <u>एकल खरीददार पर मात्रात्मक सीमा</u>

किसी भी एक खरीददार द्वारा रुई की गांठों की बिक्री के लिए प्रतिदिन अधिकतम 2 (दो) लाख गांठों और एक सीजन में कुल 10 (दस) लाख गांठों की मात्रा की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी।

7. <u>कर प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण</u>

खरीददार वस्तु एवं सेवा कर एवं आयकर अधिकारियों के साथ पंजीकृत डीलर होना चाहिए और निगम को अपनी फर्म का आवश्यक जीएसटी पंजीकरण नंबर और पैन नंबर प्रदान करना होगा।

8. <u>नमूने का प्रकार</u>

यदि कोई खरीददार निगम की किसी शाखा द्वारा प्राप्त की जा रही किसी भी किस्म/श्रेणी के नमूने प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ये नमूने भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे और खरीददार को ऐसे नमूने

प्राप्त करने के लिए निगम के बैंक खाते में डिमांड ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से 500 रुपये प्रति किलोग्राम + लागू जीएसटी का भुगतान करना होगा।

9. <u>अनुबंधित मात्रा का चालान</u>

अनुबंधित मात्रा का इनवाइस मूल खरीददार के नाम पर बनाया जाएगा। कर प्रयोजनों के लिए कोई भी अन्य प्रासंगिक प्रपत्र निगम को उस खरीददार द्वारा दिया जाएगा, जिसने गांठें खरीदने का प्रस्ताव दिया है।

10. <u>सुपुर्दगी, वजन और भुगतान की शर्तें:</u>

खरीददार को कपास के पूर्ण मूल्य और करों के भुगतान के बदले में, लिफ्टिंग अवधि के दौरान अनुबंधित रुई की सुपुर्दगी लेने का अधिकार होगा, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:-

क)अनुबंध की तारीख से _____ दिन
ख)कपास गांठों की तैयारी की सूचना की तारीख से _____दिन

खरीददार के प्रतिनिधि/नियंत्रक की उपस्थिति में सुपुर्दगी के समय सभी गांठों का 100% वजन मौके पर ही किया जाएगा और यह वजन अंतिम और बाध्यकारी होगा। खरीददार द्वारा अग्रिम भुगतान किए जाने की स्थिति में, भुगतान की गणना 100 गांठों पर 48 कैंडी की दर से वजन के आधार पर की जाएगी। सभी बिक्री मौके पर ही होगी और वजन करने के बाद के सभी खर्च खरीददार को वहन करने होंगे।

खरीददार के खाते पर बीमा का जोखिम उस समय से शुरू होगा जब गांठें खरीददार के ट्रक में लोड कर दी जाएगी। यदि गांठें खरीददार के ट्रक में लोड होने के बाद से लेकर गोदाम परिसर के बाहर स्थित वजन मापने वाले पुल पर वजन किए जाने तक कोई आग/चोरी/दुर्घटना होती है, तो बीमा दावा खरीददार की बीमा कंपनी द्वारा निपटाया जाएगा। इस स्थिति में बिल गांठों के प्रेस वजन के आधार पर बनाया जाएगा और खरीददार को उसी के अनुसार भुगतान करना होगा।

खरीददार सभी भुगतान पेमेंट गेटवे (डेबिट कार्ड (मास्टर/वीज़ा/रुपे), क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीज़ा/रुपे), एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीज़ा), प्रीपेड कार्ड (मास्टर/वीज़ा/रुपे), नेट बैंकिंग, वॉलेट (मोबिक्विक), एनईएफटी, भीम यूपीआई), एनईएफटी/आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट, पीडीए के माध्यम से केवल निगम के बैंक खाते में ही करना होगा।

खरीददार को अनुबंध/पुष्टि की तिथि से दी गई अवधि के भीतर भुगतान करना होगा और गांठों की सुपुर्दगी लेनी होगी। खरीददार द्वारा ऐसा न कर पाने की स्थिति में, विक्रेता के विकल्प पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है। अनुबंध रद्द होने की स्थिति में, विक्रेता को पूरी या शेष मात्रा को किसी भी समय और किसी भी तरीके से पुन:विक्रय करने का अधिकार होगा, और साथ ही, पुन:विक्रय से हुए किसी भी नुकसान/हानि की वसूली का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

11. <u>नकद छूट :</u>

खरीददार को उन गांठों के लिए अप्रयुक्त लिफ्टिंग अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर 5% प्रति वर्ष की दर से नकद छूट का हकदार माना जाएगा, जिनके लिए अनुबंध की तिथि से लिफ्टिंग अवधि (खंड संख्या 4

के अनुसार) के भीतर पूरा भुगतान किया जाता है। एल/सी एंड बीजी के तहत सुपुर्दगी के मामले में नकद छूट की दर 5% प्रति वर्ष होगी, बशर्ते:-

क) एल/सी डिस्काउन्टिग खरीददारओं के अनुरोध पर और "आहर्ता के अधिकार के बिना" की जाती है।
ख) एल/सी डिस्काउन्टिग से संबंधित सभी व्यय खरीददारओं द्वारा वहन किए जाएंगे।

12.<u>रुई का वहन ::</u>

उपर्युक्त प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विक्रेता खरीददार की ओर से लिफ्टिंग अवधि के बाद रुई का वहन या रख-रखाव कर सकता है, बशर्ते कि खरीददार निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करता हो :

क) खरीददार विक्रेता से लिफ्टिंग अवधि की समाप्ति से पहले अपनी ओर से कपास का रख-रखाव करने का अनुरोध करेगा और नहीं उठाये गये शेष मात्रा के लिए लिफ्टिंग शेड्यूल देगा, लेकिन यह अनुरोध लिफ्टिंग अवधि की समाप्ति के बाद अधिकतम 60 दिनों अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ख) वहन प्रभारों की दर निम्नानुसार होगी :

पहले 30 दिनों के लिए 1.10% प्रति माह और उसके बाद 1.25% प्रति माह प्रति 30 दिन + यथा लागू जीएसटी की दर से कपास की सुपुर्दगी तक वहन प्रभार लिया जाएगा । वहन प्रभार राशि की गणना मासिक शेष आधार पर की जाएगी। जब तक सुपुर्दगी की जाने वाली गांठों की कीमत का भुगतान पूरी तरह से नहीं हो जाता, तब तक उक्त दर से वहन प्रभार लिया जाएगा ।

ग) उपरोक्त शर्तों के बावजूद और उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विक्रेता, खरीद अवधि समाप्त होने के बाद अधिकतम 60 दिनों तक, खरीददार की ओर से रुई या उसके किसी भाग का परिवहन कर सकता है, बशर्ते खरीददार 10% की अतिरिक्त जमा राशि का भुगतान करे। खरीदी गई गांठों की आनुपातिक अतिरिक्त जमा राशि पर, जमा राशि की प्राप्ति की तिथि से लेकर सुपुर्दगी पर समायोजन तक, 5.0% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का लाभ दिया जाएगा।

यदि भुगतान नहीं किया गया है और उठाने की अवधि के बाद अधिकतम स्वीकार्य 60 दिनों की अवधि के भीतर सुपुर्दगी नहीं ली गई है, ऐसी परिस्थितियों में विक्रेता के विकल्प पर अनुबंध खरीददार को बिना कोई सूचना दिए रद्द किया जा सकता है और उक्त जमा या अन्य भुगतान, यदि कोई हो, विक्रेता द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

घ) चूक की स्थिति में, विक्रेता किसी भी समय और किसी भी तरीके से रुई का पुन: विक्रय कर सकता है और इस तरह के पुन: विक्रय में मूल्य अंतर, वहन प्रभार सहित और ब्याज जो खंड संख्या 16 के अनुसार होगा, खरीददार से शेष हानि/क्षति, यदि कोई हो, की वसूली कर सकता है । इस अनुबंध के तहत अनुबंध के उल्लंघन के संबंध में प्रावधानों का उपयोग विक्रेता द्वारा खरीददार को बिना नोटिस दिये स्वत: लागू और प्रवृत्त होंगा।

ङ) खरीददार के साथ व्यापारिक लेन-देन तब तक प्रतिबंधित रहेगा जब तक कि पुन: विक्रय पर होने वाले नुकसान को खरीददार द्वारा इस अनुबंध के अनुसार समायोजित नहीं किया जाता है।

13.<u>विलंब लिफ्टिंग चार्जेस :</u>

यदि इस अनुबंध के तहत बेची गए रुई के मूल्य का भुगतान करने के बाद, खरीददार भुगतान करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कपास की भौतिक सुपुर्दगी नहीं लेता है, तो खरीददार मासिक अनुपात के आधार पर 0.50% प्रति माह (30 दिन) + जीएसटी की दर से देर से उठाने के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। रुई की सुपुर्दगी होने तक कपास, खरीददार के जोखिम और दायित्व पर होगी।

14. <u>माल और सेवा कर (जीएसटी):</u>

खरीददार को अंतिम बिलिंग की तिथि को यथा लागू दर पर रुई के मूल्य पर जीएसटी का भुगतान करना होगा ।

15.<u>ब्याज:</u>

बेजमानती ऋण, एल/सी और बैंक गारंटी के तहत सुपुर्दगी पर ब्याज की दर 9 % प्रति वर्ष + यथा लागू जीएसटी मासिक शेष आधार पर लागू होगी ।

16.<u>दंडात्मक ब्याज दर:</u>

बकाया यूबी, एल/सी और बैंक गारंटी पर दंडात्मक ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से + लागू GST के साथ मासिक आधार पर लगाया जाएगा।

17. <u>एल/सी के सामने सुपुर्दगी और उसकी छूट के मामले में प्रोसेसिंग शुल्क</u>

विक्रेता अपने मूल्य के 0.10% + जीएसटी की दर से छूट वाले प्रत्येक एल/सी पर प्रसंस्करण शुल्क लेगा।

18. <u>मध्यस्थता:</u>

रुई की गुणवत्ता से संबंधित किसी भी विवाद, जिसे विशेष रूप से नियम और शर्त के खंड 2 के तहत बाहर रखा गया है, को छोड़कर, अनुबंध से या उससे संबंधित किसी भी विवाद या अंतर के मामले को एकल मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा ।

एकल मध्यस्थ ऐसे व्यक्ति होंगे जो राज्य न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी हो ।

उपर्युक्त मध्यस्थ को अनुबंध के तहत रुई की गुणवत्ता से संबंधित किसी भी विवाद को छोड़कर अन्य किसी विवाद को उठाने वाले पार्टी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और इनका निर्णय दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होगा । अनुबंध से या उससे संबंधित उठने वाले सभी बाद के विवादों को केवल ऐसे मध्यस्थ के पास ही भेजा जाएगा ।

19.<u>अप्रत्याशित घटना:</u>

क) विक्रेता के नियंत्रण से बाहर कोई भी परिस्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा, हड़ताल, दंगा, असामाजिक तत्व, युद्ध, कोरंटाइन, आग जैसे अप्रत्याशित घटनाओं के कारणों से होने वाली क्षति/विनाश/कमी की सीमा तक अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा । विक्रेता ऐसी कमी की मात्रा को 30 दिनों के भीतर खरीददार को सूचित करेगा । खरीददार एतद् द्वारा स्पष्ट रूप से इस तरह की कमी की मात्रा को रद्द करने के लिए सहमत होगा और वह इसके लिए न तो कानूनी या अन्य किसी भी कार्रवाई का सहारा लेगा और न ही इससे संबंधित किसी क्षतिपूर्ति की मांग करेगा ।

ख) हालांकि, अनुबंधों के संबंध में जहां अनुमोदित गांठों के संबंध में विक्रेता के खाते में अग्रिम भुगतान प्राप्त हो गया है, आग से हुई क्षति के कारण बीमा कंपनी द्वारा तय किए गए दावा राशि, खरीददार को दिया जाएगा और ऐसे सभी मामलों में, अनुबंधित मात्रा को आग से होने वाले नुकसान की सीमा तक कम कर दिया जाएगा ।

20.<u>अन्य शर्तें</u>

क)

	शर्तें	**दर**
1	जब खरीददार रुई के चयन हेतु स्पॉट पर जाने के बजाय नमूने को अनुमोदन के लिए अपने पास भेजने का अनुरोध करता है	रु. 500/- प्रति 100 गांठों के लॉट या उसके भाग + यथा लागू जीएसटी (1 किलोग्राम के नमूने के लिए)
2	एक शाखा से दूसरी शाखा में या तो एक ही किस्म के लिए या अलग किस्म में परिवर्तन, या शाखा के अंदर ही एक किस्म/केंद्र से दूसरी किस्म/केंद्र में परिवर्तन। तथापि नॉन कस्तूरी कॉटन से कस्तुरी कॉटन में परिवर्तन नहीं किया जाएगा । क्रेता द्वारा गांठों (लॉट) का चयन एवं अंतिम रूप से अनुमोदन किए जाने के पश्चात्, ऐसे चयनित गांठों (लॉट) के परिवर्तन हेतु प्राप्त कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा।	रु.400/- प्रति कैंडी और एक किस्म/केंद्र/शाखा और दूसरी किस्म/केंद्र/शाखा के बीच अनुबंध की तारीख और परिवर्तन की तारीख से प्रतिकूल मूल्य अंतर, यदि कोई हो।

ख) जब खरीददार बिक्री में अपने ब्रोकर का नाम शामिल करने का अनुरोध करता है तो रु 200/- प्रति कैंडी उस खरीददार के बिक्री मूल्य में जोड़ा जाएगा । निगम बिक्री अनुबंध के सफल निष्पादन के बाद रु. 95/- प्रति गांठ की दर से ब्रोकरेज का भुगतान करेगा ।

21. <u>नियम संशोधन करने का अधिकार:</u>

निगम स्टॉक की उपलब्धता, ऋण पात्रता और खरीददार के पिछले कामकाज आदि को देखते हुए किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन, परिवर्तन, या बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

22. अनुबंध के सभी नियमों एवं शर्तों की पुष्टि के लिए, खरीददार द्वारा कॉटन सीड एंड बेल बिलिंग सिस्टम (कॉटबिज़ सिस्टम) में अनुबंध पर डिजिटल रूप से ई-हस्ताक्षर करना होगा।